न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

वाद संख्या :– 01 / 539 / 2015

1. मोहर पाल पुत्र पून्या जाति मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर–मृतक
   1/1 काली पुत्री मोहरपाल स्त्री खमजी मीना निवासी ग्राम ईदपुरा हाल निवासी थानाराजाजी राजगढ
2. कजोड पुत्र पून्या जाति मीना निवासी ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर

.... वादीगण

बनाम्

1. नानगराम पुत्र गोपी कौम मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ
2. गोकल पुत्र गोपी कौम मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
3. भजन लाल पुत्र गोपी कौम मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
4. मु0 मगनी बेवा गोपी कौम मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर

..............प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक आराजी व

स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री जगदीश प्रसाद गौतम एडवोकेट :– वादीगण

निर्णय दिनांक 24.10.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। वादी द्वारा इस न्यायालय में दावा इस्तकरारहक आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेंश कर निवेदन किया की हाल आराजी ख0नं0 75 / 0.57, 393 / 0.06, 396 / 0.71, 460 / 0.99, 461 / 0.22 किता 5 रकबा 2.55 हैक्ट0 वाके ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 का पिता व प्रतिवादी नं0 4 का पति गोपी आपस में सगे भाई है। जिसका सजरा पेंश किया है। यह है कि मृतक गंगाधर वादीगण का चाचा था जो नाऔलाद फोत हुआ था। उसने अपने जीवन काल में अपने भाई पून्याराम का पुत्र को हस्ब रिवाज बिरादरी गौद लिया था और वादीगण के पिता व माता ने अपने पुत्र गोपी को अपने भाई गंगाधर को गोद दिया था और गोपीराम बचपन से ही गंगाधर के पास रहता था। गंगाधर के मरने के बाद गोपीराम ने ही गंगाधर का क्रिया कर्म किया तथा पगडी भी गोपीराम के बधी थी। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पिता व पति ने अपने वास्तवित पिता पून्याराम के हिस्से की जमीन छोड दी थी व गंगाधार पुत्र छोटक्या की समस्त चल व अंचल सम्पति पर बहैसियत दत्तक पुत्र काबिल होकर काश्त करता चला आ रहा था। गोपीराम की मृत्यु के बाद गंगाधर की विरासत का इन्तकाल नं0 103 दिनांक 11.06.2004 को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गय। यह है कि प्रतिवादीगण का पिता गोपीराम, गंगाधर के गोद चला गया था और उसका विवादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक वो हिस्सा नही रहा था और वादीगण ही विवादग्रस्त आराजी के 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये थे। परन्तु पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत से प्रतिवादीगण ने गोपीराम की विरासत का इन्तकाल नं0 113 अपने नाम चढवा लिया। जबकि विवादग्रस्त भूमि में गोपीराम का कोई हक व हिस्सा नही रहा। और न प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा है। यह है कि वादीगण के पिता पून्याराम का स्वर्गवास लगभग 40 साल पहले हो गया और

वादीगण पून्याराम की छोडी हुई आराजी पर 1/2, 1/2 हिस्से खातेदार हो गये थे तथा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण का ही कब्जा काश्त है। मृतक पून्याराम के विरासत का इन्तकाल गलती से पून्याराम के तीनो लडको के नाम हो गया। लेकिन वास्तव में मौके पर कब्जा दो भाई वादीगण का है। गोपीराम द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट नही की और वह अपने दत्तक पिता गंगाधर की जमीन पर काबिज था इसलिये उसके नाम का इन्द्राज हटाने की कोई आवश्यक महसूस नही की। यह है कि प्रतिवादीगण का नाम का इन्द्राज अपने पिता के स्थान पर वो दादा गंगाधर पर भी हो गया। तथा वादीगण की आराजी पर भी प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्से का इन्द्राज हो गया जो गलत है। प्रतिवादीगण के पिता का इन्द्राज अपने प्राकृतिक पिता के व दत्तक ग्रहीता की आराजी पर दो जगह इन्द्राज नही हो सकता और गोद जाने के बाद अपने प्राकृतिक पिता के स्थान पर उसके सारे अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है और प्राकृतिक पिता की सम्पति में से उसका कोई हिस्सा नही ले सकता है। ऐसा हिन्दू लॉ का नियम है। अब गोपीराम जो की प्रतिवादीगण का पिता था की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर 1/3 हिस्से में अपना नाम खातेदारी मे दर्ज करा लिया। तथा गलत इन्द्राज की आड में अब प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के वादीगण को सालिम के काबिज खातेदार घोषित करने व प्रतिवादीगण का नाम का इन्द्राज खातेदारी कलमजन करने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

वाद–वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये तथा उनके द्वारा जबाव भी पेंश किया गया। जबाव में उनके द्वारा वाद वादी तथ्यो को अस्वीकार करते हुये उल्लेख किया की वादीगण एवं अन्य विपक्षीगणे के करीबन दो वर्ष पूर्व वादीगण की रिहायश जमीन पर झगडा हुआ था जिसमें प्रतिवादीगण का पिता गोपीराम सगा भाई होने के कारण वादीगण की तरफ से झगडे का बीच–बचाव करने गया था। जिसमें विपक्षीगणो किशन, किशोर के पीरवार वालो ने प्रतिवादीगण के पिता गोपीराम की हत्या करदी थी। प्रतिवादीगण उस दिन गॉव में नही होने के कारण वादीगण द्वारा ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवादी थी। और वे ही वाक्य के चश्मेदीद गवाह थे। पुलिस थाना राजगढ द्वारा मुलजिमान किशन, किशोर वगै0 के विरूद्व दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 302 में चालान श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश राजगढ में पेश कर दिया जिसमें मूलजिमानो के निश्चित सजा होती परन्तु वादीगण द्वारा मुलजिमानो से ढेड लाख रू0 लिया जाकर राजीनामा पेंश करवा दिया व बयानो से मुकर गये। और मुलजिमान बरी हो गये। जिस पर हम प्रतिवादीगणो ने ग्राम व आस–पास के पंचो की पंचायत बुलाई और कहा की पिता तो हमारा मरा है और वो भी तुम्हारे झगडे में। तुमने मुलजिमानो से पैसे लेकर राजीनामा क्यो किया। हम फैसले के उच्च न्यायालय मे निगरानी करेगें। वादीगण का परिवार झगडालू है। प्रतिवादीगण को उसके हिस्से की आराजी को बेदखल कर हडपना चाहते है। यह सही है कि प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 के पिता गोपी गंगाधर के गोद अवश्य गया था। गंगाधर के जीवनकाल में वह स्वमं काश्त करता था। उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 का पिता गोपीराम उसकी चल–अचल सम्पति पर काबिज हो गया। गोपीराम के वास्तविक पिता पून्याराम के कोई आराजी नही थी। तथा उसका स्वर्गवास करीब 50 वर्ष पूर्व हो गया था। गोपीराम पून्या के मरने के बाद गोद गया था। दावा में वर्णित आराजी प्रतिवादीगण 1 से 3 के पिता गोपीराम की स्वमं अर्जित आराजी है और आज हम वारीसान काबिज रहकर काश्त करते है। वादीगण का 2/3 हिस्सा है व प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा है। गंगाधर का विरासत का नामान्तकरण गोद के आधार पर सही स्वीकार किया है। गोपीराम के पिता पून्याराम की जब कोई आराजी ही नही थी तो गोपीराम द्वारा उसके हिस्से की आराजी को छोडने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अंत में दावा वादीगण खारीज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण हाल आराजी ख0नं0 75/0.57, 393/0.06, 396/0.71, 460/0.99, 461/0.22 किता 5 रकबा 2.55 हैक्ट0 वाके ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ सालिम के काबिज खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में सालिम की खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।
2. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।
3. अन्य दादरसी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

इसी दौरान वादी मोहरपाल की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल्स 3 का पेंश होने पर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसके वारीसान को वादी संख्या 1/1 पर दर्ज करने की स्वीकृति दी गईं। दोहराने साक्ष्य वादी दिनांक 17.12.2015 को प्रतिवादी स्वमं या उनके वकील उपस्थित नही होने की स्थिति में उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र मोहरपाल, बाली, कजोड के पेश हुये उनके द्वारा साक्ष्य में वाद वादी तथ्यो की पुष्टि करते हुये उल्लेख किया की मृतक गंगाधर वादीगण का चाचा था जो नाऔलाद था। उसने अपने जीवनकाल में अपने भाई पून्या का पुत्र गोपीराम को हस्ब रीवाज बिरादरी गोद लिया थ और वादी के पिता व माता ने अपने पुत्र गोपी को अपने भाई गंगाधर को गोद दिया था। तभी से गोपी गंगाधर के पास रहता था तथा गंगाधर की मृत्यु के बाद समस्त क्रिया कर्म गोपीराम ने किया तथा पगडी भी गोपीराम के बधी थी। प्रतिवादीगण के पिता ने अपने वास्तविक पिता पून्याराम के हिस्से की जमीन छोड दी थी तथा गंगाराम की समस्त चल–अचल सम्पति पर काबिज होकर काश्त करने लग गया था। गोपीराम की मृत्यु के बाद गंगाधर की विरासत का इन्तकाल संख्या 103 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार गोपीराम गंगाधार के गोद चले जाने पर विवादित आराजी में उसका कोई हक वो वास्ता नही है। आज भी आराजी विवादित सम्पूर्ण पर वादीगण का कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बंध नही है। सबूत में दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 103, 113 भू–प्रबन्ध पर्चा सम्वर्त 2014 जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 जमाबंदी भूमि एकीकरण सम्वत् 2017 जमाबंदी सम्वत् 2016 जमाबंदी सम्वत् 2059 व मिलान क्षेत्रफल 2046 नकल पेंश की गई।

प्रकरण में तहसीलदार राजगढ से आराजी विवादित की कब्जे की रिपोर्ट व गोद जाने की रिपोर्ट भी तलब करने के आदेश दिनांक 21.06.2017 को जारी किये गये।

मैने बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये उल्लेख किया की आराजी विवादित हाल आराजी ख0नं0 75/0.57, 393/0.06, 396/0.71, 460/0.99, 461/0.22 किता 5 रकबा 2.55 हैक्ट0 वाके ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ में स्थित है जो विवादित है। यह है कि छोटक्या के दो लडके गंगाधर व पून्या थें। पून्या के 3 लडके मोहर पाल, कजोड जो वादी है तथा तीसरा लडका गोपीराम था। गंगाधर नाऔलाद था तथा उसके द्वारा अपने जीवन काल में ही पून्या का लडका वादीगण का भाई गोपीराम को गोद ले लिया था। तथा गंगाधर की समस्त चल–अचल सम्पति पर काबिज हो गया था। गंगाधर के मरने के बाद गोपीराम ने ही गंगाधर का समस्त क्रिया कर्म किया तथा पगडी भी गोपीराम के ही बधी थी। गंगाधर की मृत्यु के बाद ही गोपीराम की मृत्यु हो गई तथा गंगाधर का विरासत का इन्तकाल संख्या 103 दिनांक 11.06.2004 को प्रतिवादीगण जो की गोपीराम के वारीस है के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है जो इन्तकाल बहैसियत मृतक गंगाधर का दत्तक पुत्र गोपीराम के वारीसान के नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार हाल आराजी विवादित में जो 1/3 हिस्से की खातेदारी गोपीराम के असल पिता पून्या की दर्ज हुई है वह काबिल स्वीकार योग्य नही है। क्योकि गोपीराम प्रतिवादीगण का पिता गंगाधर के गोद चला गया था। तथा मृतक गंगाधर की समस्त चल–अचल सम्पति के खातेदार मृतक गोपीराम के वारीसान प्रतिवादीगण इन्तकाल संख्या 103 से हो चुके है। अब प्रतिवादीगण के पिता गोपीराम का असल पिता पून्या की खातेदारी में से 1/3 हिस्से का गलत इन्द्राज होने से वादीगण को पून्या की 1/3 हिस्से की आराजी जो प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हो गई के आधार पर बेदखल करना चाहते है। जबकि मृतक पून्या की समस्त विवादित खातेदारी आराजी के खातेदार वादीगण होने चाहिये अर्थात 1/3 हिस्सा जो प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज है वह बमुकाबले वादी बातिल व बेअसर करार दिये जाने योग्य है तथा वादी समस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। साक्ष्य में भी आराजी विवादित पर वादीगण ही कब्जा काश्त होना साबित किया है तथा प्रतिवादीगण के पिता गोपीराम को मृतक गंगाधर द्वारा गोद लिया जाना साबित किया है। इसके अतिरिक्त स्वमं प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जबाव में गोपीराम को मृतक गंगाधर के गोद जाना स्वीकार किया है। प्रकरण में तहसीलदार राजगढ से विवादित आराजी कब्जे व गोद जाने की रिपोर्ट तलब की गई थी। जिस पर तहसीलदार राजगढ द्वारा दिनांक 28.08.2017 पत्र संख्या 1641 के द्वारा आराजी विवादित पर वादीगण का कब्जा होना व प्रतिवादीगण के पिता गोपी को गंगाधर के गोद जाना बताया है। प्रतिवादीगण बाद सूचना असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये है उनके

द्वारा जबाव भी पेंश किया है। परन्तु उनका आराजी से कोई संबंध नही होने के कारण आगे पैरवी भी नही की गई है। जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 खाता संख्या 11 व 50 वाके ग्राम इन्दपुरा तहसील राजगढ जो पेंश की है के अंकित इन्द्राज के अनुसार स्पष्ट है कि उक्त जमाबदी के खाता संख्या 11 में अंकित आराजी जो गंगाधर पुत्र छोटक्या के नाम खातेदारी में थी। वह नामान्तरकरण संख्या 103 के द्वारा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को मृतक गंगाधर की आराजी बहैसियत अपने पिता गोपीराम के दत्तक पुत्र की हैसियत से प्राप्त हुई है। उक्त संबंध का इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 11.06.2004 में अंकित निर्णय से भी होता है कि मृतक गंगाधर की आराजी प्रतिवादीगण के नाम उनके पिता गोपीराम को गंगाधर के गोद जाने की हैसियत से प्राप्त हुई है। जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 खाता संख्या 50 ग्राम ईन्दपुरा तहसील राजगढ में अंकित इन्द्राज में भी वादीगण मोहरपाल, कजोड पिता पून्या 2/3 हिस्सा व गोपी पुत्र पून्या 1/3 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जब प्रतिवादीगण का पिता गोपीराम, गंगाधर के गोद चला गया और गंगाधर की आराजी पर प्रतिवादीगण खातेदार है तो गोपीराम को अपने असल पिता पून्याराम की 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त हुई है। वह सही नही है। क्योकि गोपीराम मृतक गंगाधर के उसके जीवन काल में ही गोद चला गया था तो कानूनन अपने असल पिता की चल–अचल सम्पति पर उसका कोई खातेदारी अधिकार नही रह जाता है। जैसा की मृतक पून्याराम की आराजी विवादित पर सम्पूर्ण हिस्से पर वादीगण काबिज है अर्थात प्रतिवादीगण का उस आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। इस बात की पुष्टि वादीगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र गवाहन तथा जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार दिनांक 28.08.2017 से भी होती है। जमाबंदी सम्वत् 2004 के अंकित इन्द्राज से भी यह तथ्य साबित होता है कि साबिक आराजी के पूर्व में खातेदार पून्या, गंगाधर पिसरान छोटा बराबर बराबर हिस्से के खातेदार थें। सम्वत् 2018 में भूमि का एकीकरण हुआ। जिसमें साबिक आराजी जो पून्या व गंगाधर पि0 छोटा के नाम खातेदारी में दर्ज थी के पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज हो गई। जिसमें वादीगण के पिता पून्याराम के खातेदारी की आराजी के साबिक ख0नं0 बन्दोबस्त सम्वत् 2046 से पूर्व 26, 152, 141, 171 थे जिसमें भी वादीगण के पिता की आराजी में प्रतिवादीगण के पिता गोपीराम को 1/3 हिस्से का गलत इन्द्राज दर्ज हो गया जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2031 के अंकित इन्द्राज से होती है। उक्त साबिक आराजी के बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में नये नम्बर 75, 393, 396, 460, 461 वाके ग्राम ईन्दपुरा तहसील राजगढ बने है। जिसक पुष्टि प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 से होती है। तथा उक्त हाल आराजी में भी साबिक में प्रतिवादीगण के पिता पून्याराम की खातेदारी 1/3 हिस्सा दर्ज होने से नामान्तरकरण संख्या 113 के द्वारा गोपीराम की आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है जो इन्द्राज हजफ किया जाकर वादीगण को उक्त आराजी विवादित समस्त का खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य सबूतो से दावा वादी काबिल डिक्री योग्य है। दावा वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया।

मैने बहस वकुलाय पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज शपथ पत्र व जबाव प्रतिवादीगण का भी अवलोकन किया गया। जैसा की प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये उनके द्वारा जबाव भी पेंश किया। परन्तु दौहराने साक्ष्य दिनांक 17.12.2015 को उपस्थित न्यायालय नही आने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि प्रतिवादीगण का पिता गोपीराम मृतक गंगाधर जो की नाऔलाद फोत हुआ है गंगाधर के जीवन काल में ही गोपीराम उसके गोद चला गया था। उक्त तथ्य की पुष्टि वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 11.06.2004 के अंकित इन्द्राज व निर्णय से होती है तथा जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 खाता संख्या 11 वाके ग्राम ईन्दपुरा तहसील राजगढ के अंकित इन्द्राज से भी होती है कि आराजी विवादित 297, 298, 299, 318, 325 वाके ग्राम ईन्दपुरा तहसील राजगढ जिसका खातेदार गंगाधर पुत्र छोटक्या था। जिसके विरासत इन्तकाल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। इसी जमाबंदी के खाता संख्या 50 में भी अंकित आराजी विवादित में जो गोपीराम पुत्र पून्या 1/3 हिस्से का तथा वादी मोहरपाल, कजोड पित पून्या 2/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है में नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 20.06.2004 विरासत गोपीराम बहक प्रतिवादीगण के नाम का लाल स्याही से नोट अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण को मृतक गंगाधर की आराजी की खातेदारी

नामान्तकरण संख्या 103 से प्राप्त हुई है जो बहैसियत प्रतिवादीगण का पिता जो की मृतक गंगाधर के गोद गया की हैसियत से प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादीगण को अपने पिता गोपीराम की 1/3 हिस्सा की आराजी जो गोपीराम को अपने असल पिता पून्याराम की आराजी से भी खातेदारी प्राप्त इुई है। वह हिस्सा भी प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ है। जैसा की प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गोपीराम जो वादीगण का पिता था गंगाधर के जीवन काल में ही गंगाधर के गोद गया था। गंगाधर का विरासत का नामान्तरकरण गोद के आधार पर सही स्वीकार हुआ है अर्थात प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यो से यह तथ्य स्पष्ट साबित है कि गोपीराम वादीगण का पिता जो की गंगाधर के जीवन काल में ही उसके गोद गया था तथा उसकी समस्त आराजी पर उसके जीवन काल में ही काबिज होकर काश्त करता था तथा गोपीराम के स्वर्गवास होने पर प्रतिवादीगण उसकी समस्त चल—अचल सम्पति पर काबिज हो गया। जैसा कि प्रकरण में तहसीलदार राजगढ से गोपीराम को गंगाधर के गोद जाने व आराजी पर वर्तमान में कब्जे संबंधी जो रिपोर्ट तलब की उसमें भी गोपीराम को गंगाधर के गोद जाना व आराजी विवादित पर वादीगण का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रस्तुत विवेचन शपथ पत्रो, रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ व नामान्तरकरण संख्या 103 के अंकित इन्द्राज से स्पष्ट साबित होता है कि प्रतिवादीगण का पिता गोपीराम गंगाधर के जीवन काल में ही उसके गोद चला गया था तथा गंगाधर की समस्त आराजी पर प्रतिवादीगण की खातेदारी दर्ज है तथा प्रतिवादीगण के पिता गोपीराम को असल पिता पून्याराम की खातेदारी में जो वादीगण मोहरपाल व कजोड के साथ 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज की गई है काबिल स्वीकार योग्य नही पाई जाती है। क्योकि जब प्रतिवादीगण का पिता गोपीराम, गंगाधर की गोद चला गया था तो उनको असल पिता पून्याराम की खातेदारी में से अपना हिस्सा जो 1/3 प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नही था। इस प्रकार इन्द्राज काबिल स्वीकार योग्य नही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को गोपीराम के के असल पिता पून्याराम की आराजी में से 1/3 हिस्सा जो नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 20.06.2004 के द्वारा प्राप्त हुई है बमुकाबले वादीगण बातिल व बेअसर करार दिये जाने योग्य है। तथा पून्याराम की 1/3 हिस्से की आराजी जो असल पिता गोपीराम से प्राप्त हुई है को हजफ कराकर वादीगण उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी साबित है क्योकि गोपीराम मृतक गंगाधर के गोद चला गया था। इस प्रकार प्रस्तुत विवेचन के अनुसार व साक्ष्य सबूतो के अनुसार प्रतिवादीगण का पिता गोपीराम मृतक गंगाधर के जीवन काल में ही गोद जाना साबित होने के कारण दावा वादी काबिल डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी ख0नं0 75/0.57, 393/0.06, 396/0.71, 460/0.99, 461/0.22 किता 5 रकबा 2.55 हैक्ट0 वाके ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। हाल रिकार्ड में जो प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है उसे हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण आराजी विवादित में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 1/3 हिस्से की खातेदारी की आराजी के इन्द्राज को हजफ करवाकर अपने नाम 1/3 हिस्से की आराजी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी विवादित समस्त में वादीगण के कार्य काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/539/2015	दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा	29.04.2015	24.10.2018

1. मोहर पाल पुत्र पून्या जाति मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर—मृतक 1/1 काली पुत्री मोहरपाल स्त्री खमजी मीना निवासी ग्राम ईदपुरा हाल निवासी थानाराजाजी राजगढ
2. कजोड पुत्र पून्या जाति मीना निवासी ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर

.... वादीगण

बनाम्

1. नानगराम पुत्र गोपी कौम मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ
2. गोकल पुत्र गोपी कौम मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
3. भजन लाल पुत्र गोपी कौम मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
4. मु0 मगनी बेवा गोपी कौम मीना निवासी ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर

..............प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक आराजी व

स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री जगदीश प्रसाद गौतम एडवोकेट :— वादीगण

पर्चा डिक्री दिनांक 24.10.2018

दावा वादी इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी ख0नं0 75/0.57, 393/0.06, 396/0.71, 460/0.99, 461/0.22 किता 5 रकबा 2.55 हैक्ट0 वाके ग्राम ईदपुरा तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। हाल रिकार्ड में जो प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है उसे हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण आराजी विवादित में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 1/3 हिस्से की खातेदारी की आराजी के इन्द्राज को हजफ करवाकर अपने नाम 1/3 हिस्से की आराजी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी विवादित समस्त में वादीगण के कार्य काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.10.2018 को तैयार की गई।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)